

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2023

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	6.12.24	<p>तत्पश्चात् पेल डीमे कर जिरा Reg. 14. जारी होकर पत्रावली दिनांक 6/12/24 को पेल है। ✓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> <p>पत्रावली पेल हुई। अधिवक्ता धर्मा उप० प्रकरण में मूल वाद अन्तर्गत आरेख-9 नियम-5 जा० की० के तहत खारिज किया जा चुका है। इसमें धर्मा पर अन्तर्गत धारा 212 R.T.I. भी अन्तर्गत आरेख-9 नियम-5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदार होकर नंबर से नाम होकर दाखिल दफ्तर है। ✓</p>	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर